पत्रांक- 3ए-2-वे०पु०-01/2019- 2362 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-08/03/2019

विषय:- बिहार कृषि अभियंत्रण सेवा के प्रोन्नति के पदों के लिए दिनांक-01/01/1996 से वेतनमान संशोधन के संबंध में।

दिनांक-01/01/1996 के पूर्व बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत सहायक कृषि अभियंता/ जिला कृषि अभियंता/जिला कृषि अभियंत्रण पदाधिकारी इत्यादि मूल कोटि के पद तथा सहायक कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उप कृषि निदेशक (अभियंत्रण) एवं संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रोन्नति का पद था। फिटमेंट अपीलीय कमिटी के द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर सहायक कृषि निदेशक (अभियंत्रण) के लिए रु० 10000-15200/-, उप कृषि निदेशक (अभियंत्रण) के लिए 12000-16500/- तथा तृतीय प्रोन्नति के पद संयुक्त निदेशक (अभियंत्रण) 14300-18300/- की अनुशंसा की गई। फिटमेंट अपीलीय कमिटी की अनुशंसा पूर्व में सृजित पदों एवं पदसोपानों को दृष्टिपथ में रखकर दी गयी थी।

2. इस अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद् की आर्थिक नीति एवं आर्थिक समन्वय विषयक समिति द्वारा राज्य सेवाओं की समकक्षता के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-238, दिनांक-12/01/2004 द्वारा कृषि अभियंत्रण सेवा के लिए सहायक निदेशक (मूल कोटि), उप निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, कृषि अभियंत्रण के लिए क्रमशः रु० 6500-10500/-, 10000-15200/- एवं रु० 12000-16500/- की स्वीकृति दिनांक-01/01/1996 के प्रभाव से दी गई।

3. इस स्वीकृति के फलस्वरूप श्री मनोरंजन कुमार सिन्हा द्वारा फिटमेंट अपीलीय कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप वेतनमान की स्वीकृति हेतु सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-10806/2006 एवं एल०पी०ए० संख्या-22/2016 दायर किया गया। सरकार के पक्ष

को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तथा यह भी आदेश पारित किया गया कि फिटमेंट अपीलीय कमिटी की अनुशंसा बाध्यकारी है। न्यायादेश का अनुपालन किये जाने तथा दिनांक-01/01/1996 से पूर्व स्वीकृत मूल कोटीय पद कृषि अभियंता से उच्चतर प्रोन्नति के पदों का वेतनमान संशोधन राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त कृषि अभियंत्रण संवर्ग के लिए दिनांक-01/01/1996 के पूर्व मूल कोटि (कृषि अभियंता) से प्रोन्नति के पदों के लिए दिनांक-01/01/1996 से निम्नवत् वेतन संशोधन का निर्णय लिया जाता है:-

क्र०सं०	**पदनाम**	**अपुनरीक्षित वेतनमान**	**संकल्प सं० 238, दिनांक-12.01.2004 द्वारा स्वीकृत वेतनमान**	**दिनांक-01/01/1996 से संशोधित वेतनमान**
1	सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) (प्रथम प्रोन्नति)	3000-4500/-	6500-10500/-	10000-15200/-
2	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) (द्वितीय प्रोन्नति)	3700-5000/-	10000-15200/-	12000-16500/-
3	संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) (तृतीय प्रोन्नति)	4100-5300/-	12000-16500/-	14300-18300/-

दिनांक-01/01/1996 के बाद नियुक्त कृषि अभियंताओं को संकल्प संख्या-660, दिनांक-08/02/1999 के द्वारा स्वीकृत मूल कोटीय वेतनमान रु० 6500-10500/- होगा। उक्त संशोधित वेतनमान उन्हीं कृषि अभियंताओं के संदर्भ में प्रभावी होगा, जो दिनांक-01/01/1996 के पूर्व प्रोन्नति प्राप्त होंगे। उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण, संकल्प संख्या-660, दिनांक-08/02/1999 के आलोक में की जायगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-01/2019-**2362/वि०** पटना, दिनांक-**08/03/2019**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-01/2019-**2362/वि०** पटना, दिनांक-**08/03/2019**

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-01/2019-**2362/वि०** पटना, दिनांक-**08/03/2019**

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा-26/ सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।